

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3476]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2019/कार्तिक 2, 1941

No. 3476]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 2, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3843(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 24) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 अक्तूबर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं 1/1/2017-आईआर]

लोक रंजन, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2019

S.O. 3843(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of The Right to Information (Amendment) Act, 2019 (24 of 2019), the Central Government hereby appoints the 24th of October, 2019 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/1/2017-IR]

LOK RANJAN, Addl. Secy.

5533 GI/2019